

**कार्यालय वनमण्डलाधिकारी व पदेन सहायक सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड**

क्षेत्रीय वनमण्डल

फोन. नं. ईमेल

क्रमांक / जैवविविधता प्रकोष्ठ / वि.वर्ष /

दिनांक

प्रति,

1. वनपरिक्षेत्र अधिकारी / उपवनमण्डलाधिकारी
क्षेत्रीय वनमण्डल
जिला (म.प्र)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत / जनपद पंचायत या
ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत / बी.एम.सी.
जिला (म.प्र)
3. जैवविविधता प्रबंधन समिति

विषय: वाणिज्यक उपयोग हेतु जैवसंसाधनों की प्राप्ति / पहुँच के संबंध में अभिमत बावत् ।

संदर्भ: जैवसंसाधनों की प्राप्ति (वित्तीय वर्ष) हेतु व्यापारी / विनिर्माता से प्राप्त फार्म-1

उपरोक्त विषयांतर्गत जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा-7, 24(2) एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 2004, के नियम 17 (2)के अंतर्गत जैवसंसाधनों के संग्रहण हेतु स्थानीय निकायों/वनमण्डलों से अभिमत प्राप्त किया जाना प्रावधानिक है। इस क्रम में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वर्णित जैवसंसाधनों के वाणिज्यक उपयोग हेतु प्राप्ति / पहुँच चाही गई है। इस संबंध में संलग्न प्रारूप अनुसार अभिमत प्रेषित करने का कष्ट करें।

कृपया 30 दिवस में इस कार्यालय को अपना अभिमत प्रेषित करने का कष्ट करें। यदि आपका अभिमत उक्त समयावधि में प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जावेगा कि जैवसंसाधनों की प्राप्ति / पहुँच हेतु कोई आपत्ति नहीं है। आपके अभिमत के आधार पर आवेदन के संबंध में इस कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

संलग्न:-1. आवेदित जैवसंसाधनों की सूची ।

2. अभिमत का प्रारूप

वनमण्डलाधिकारी (क्षे.), व पदेन
सहायक सदस्य सचिव,
म.प्र.रा.जैवि.बोर्ड
क्षेत्रीय वन मण्डलजिला.....

....

नोट*— यदि जैवसंसाधनों की प्राप्ति / पहुँच एक या एक से अधिक वनमण्डलों से की जा रही है, तो संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी से भी परामर्श करें।

जैवसंसाधनों के वाणिज्यक उपयोग हेतु अभिमत

दिनांक..... को विचार विमर्श एवं तथ्यात्मक उपलब्ध जानकारी अनुसार प्राप्त आवेदन में जैवसंसाधन की दर्शित मात्रा के पहुँच/प्राप्ति के संबंध में जैवविविधता प्रबंधन समिति/वन परिक्षेत्र/उप वनमंडल/वन मंडल/स्थानीय निकाय का अभिमत प्रेषित है।

1. प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण एवं उपयोग संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
2. प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण एवं उपयोग से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण से पारिस्थितिकी तंत्र प्रजातियों तथा आनुवांशिक विविधता सहित जैवविविधता के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेगा।
4. प्रस्तावित जैवसंसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
5. प्रस्तावित जैवसंसाधन मध्यप्रदेश वन उपज (जैवविविधता का संरक्षण एवं पोषणीय कटाई) नियम, 2005 अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं है।

संलग्न: आवेदित जैवसंसाधनों की सूची जिनके संदर्भ में अभिमत प्रेषित है।

दिनांक.....

अध्यक्ष/सचिव/प्रभारी अधिकारी
जैवविविधता प्रबंधन समिति/स्थानीय
निकाय/वन परिक्षेत्र/उप
वनमंडल/वनमंडल

**फार्म–1 (परिशिष्ट–1 टी) में वर्णित आवेदक/व्यापारी द्वारा
जैवसंसाधनों के स्थान, नाम, मात्रा, के संग्रहण की विवरण सूची**

क्रं.	फर्म व आवेदक का नाम	फर्म/आवेदक का पता	फोन नंबर	जैवसंसाधन का नाम	जैव संसाधन की मात्रा (कि.ग्रा. में)	जैवसंसाधन प्रस्तावित संग्रहण स्थल
1	2	3	4	6	7	8
1						
2						

सील एवं हस्ताक्षर)
 वनमण्डलाधिकारी (क्षे.) व पदेन
 सहा. सदस्य सचिव म0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड
 क्षेत्रीय वनमण्डल.....